प्रेस नोट
दिनांक 21.12.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान का फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–185/25, धारा 318(4), 318(4),338,336(3),340(2),351(3),329(4),126(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नान्हू पुत्र अय्यूब खान को ग्राम बेलहरी से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2025 को वादिनी अलीमा पत्नी अकरम खान, निवासी कटैला थाना परसपुर द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके दामाद नान्हू पुत्र अय्यूब, निवासी बेलहरी थाना कर्नलगंज द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थिनी के पुस्तैनी मकान का फर्जी बैनामा करा लिया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 21.12.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त नान्हू पुत्र अय्यूब खान को ग्राम बेलहरी से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नान्हू पुत्र अय्यूब खान निवासी ग्राम बेलहरी, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–158/25, धारा 318(4), 318(4),338,336(3),340(2),351(3),329(4),126(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अमन कन्नौजिया।
02. का0 अजय सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।